



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 19.06.2026

थाना जिगना पुलिस द्वारा गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक: 19.06.2026 को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना जिगना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-22/2026 धारा 319(2),318(4),336(3),340(2) बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिवम उर्फ फदारी यादव पुत्र तारकेश्वर यादव उर्फ अजीत यादव निवासी देलाही (कोसडा कलां) थाना माण्डा जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शिवम उर्फ फदारी यादव पुत्र तारकेश्वर यादव उर्फ अजीत यादव निवासी देलाही (कोसडा कलां) थाना माण्डा जनपद प्रयागराज, उम्र 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-22/2026 धारा 319(2),318(4),336(3),340(2) बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना जिगना जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-09/2026 धारा 3/5/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर।
3. मु0अ0सं0-89/2026 धारा 109 बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम, 3/5/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना राजपुर जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय पुलिस टीम थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

